51

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/1369 दिनांक – 18/06/19

प्रार्थी बनाम	अप्रार्थीगण
1 खेताराम पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर।	1 चेनाराम पुत्र सालूराम 2 तगाराम पुत्र हुकमाराम 3 कानाराम पुत्र मानाराम 4 सूराराम पुत्र हरचन्दराम 5 वीरमाराम पुत्र दुर्गाराम 6 पूराराम पुत्र रूपाराम 7 खंगाराराम पुत्र उगराराम 8 कंवराराम पुत्र रूपाराम 9 केसराराम पुत्र सोनाराम 10 पूराराम पुत्र रूपाराम 11 पीथराम पुत्र भूराराम 12 थानाराम पुत्र देदाराम 13 जोगाराम पुत्र वालाराम जाति जाट 14 पनाराम पुत्र देवाराम जाति कुम्हार 15 तेजाराम पुत्र दुर्गाराम जाति सोनी 16 कुटला पुत्र धेंकललाजी जाति कुम्हार 17 उकाराम पुत्र बींजाराम जाति दर्जी 18 काछबा पुत्र राणाराम जाति कुम्हार 19 रिखबाराम पुत्र दुर्गाराम जाति सुथार निवासी बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 25/2019 दिनांक– 11-6.19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बिशाला आगोर पटवार क्षेत्र बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 12 रकबा 09.15 बीघा, खसरा संख्या 34 रकबा 03.15 बीघा, खसरा संख्या 36 रकबा 03.04 बीघा, खसरा संख्या 129 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 130 रकबा 16.06 बीघा एचं खसरा संख्या 713/13 रकबा 17.14 बीघा कुल रकबा 51.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2019/ 1370-73 दिनांक– 18/06/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बिशाला आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. खेताराम पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी बिशाला आगोर तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी चेनाराम पुत्र सालूराम वगैराह जाति जाट निवासी बिशाला आगोर, तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर